19/8/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि विचाराधीन अपील वकील अपीलांट द्वारा No Instruction करने से खारिज कर दी गई। वकील का दायित्व था कि वह मामले की पैरवी करता और यदि नहीं तो पक्षकार को सूचित कर देता। न्यायालय भी इस आशय की सूचना अपीलांट को देता कि वह मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। इसलिए न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर अपील पुनः दर्ज की जावे।

वकील रेस्पोन्डेंट की आपत्ति है कि अपीलांट और उनके वकील को तारीख पेशी पर प्रभावी पैरवी करनी चाहिए थी। वकील के मामले में अपीलांट की ओर से "No Instruction" का कहने पर मामला खारिज किया है जो सही है। आवेदन खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस एवं मामले पर विचार करने पर न्यायालय का मत है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निपटाया जाना न्यायसंगत है बजाय तकनीकी कारणों के आधार पर खारिज करना। लिहाजा आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः दर्ज कर सुनवाई के नियमित प्रक्रम में इस शर्त के साथ लाने के आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट पक्ष अब प्रभावी पैरवी में कोई चूक न करे। पत्रावली मूल शुमार होकर नंबर [illegible] हो, [illegible] हो।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर